न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 473/2020 (GCMS No. 2020/00495) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. देवेश पुत्र मुरारीलाल जाति त्यागी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी गॉधी कॉलोनी वरखण्डी रोड मुरैना मध्यप्रदेश

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. राजकुमार पुत्र ऐनकचन्द अग्रवाल जाति वैश्य उम्र करीब 35 वर्ष निवासी सिविल लाईन, गडरपुरा धौलपुर।
2. नरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट उम्र करीब 46 वर्ष निवासी शारदा विहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर।
3. मुकेश शर्मा पुत्र केशव प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण उर्म करीब 39 वर्ष निवासी गिरीश बिहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर
4. नरेन्द्र शर्मा पुत्र सरवनलाल जाति ब्राहम्ण उम्र करीब 35 वर्ष निवासी राजाखेडा बाईपास रोड धौलपुर।
5. धीरज पुत्र सन्तोष कुमार जाति त्यागी उम्र करब 30 वर्ष निवासी त्यागी भवन धौलपुर।
6. तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 04.09.2015 प्रकरण संख्या 12/2013 उनवानी देवेश कुमार बनाम राजकुमार

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्र सिह राना
3. शशि बंसल

} वकील रेस्पोडैन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य दिनांक : 16.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 04.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम तोर दानियाल तहसील धौलपुर स्थित खसरा नम्बर 473, 474, 475 तथा 476 में सन्तोष कुमार पुत्र बसन्त सिंह के 1/3 भाग के कूटरचित बयनामा के आधार पर 03 वर्ष बाद प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा नामान्तकरण दिनांक 28.01.2023 को स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 04.09.2015 को खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया कि जब नियमित वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है तो फिर नामान्तकरण जैसी सरसरी कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिए। दीवानी प्रकरण संख्या 25/2003 उनवानी अजमेर सिंह बनाम जयप्रकाश में दिनांक 27.08.2003 को विवादित आराजीयात की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया था, साथ ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडैन्ट के मध्य एक दीवानी वाद में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर ने दिनांक 15.02.2011 को विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई, जो प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक तक प्रभावी थी, जिसकी प्रति तहसीलदार धौलपुर तथा पटवारी हल्का को प्रदान कर दी गयी लेकिन इसके बावजूद भी नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी व तथ्यात्मक त्रुटि की गयी। तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो विधिवत जॉच की गई तथा न ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नामान्तकरण की समस्त प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के हक में बयनामा होने मात्र से ही नामान्तकरण को मान्यता देने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं माना है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया जटिल विवाद्यकों का विनिश्चय करना संभव नहीं होता तो फिर उन्हें न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णित होने का इन्तजार करना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तकरण संख्या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

851 ग्राम तोर दानियाल तहसील धौलपुर निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत 1989 आरआरडी पेज 771 (बी), 2001 आरआरडी पेज 53 पेश किये।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौरोन बहस तर्क किया कि जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई है। नामान्तकरण खोलने में कोई अनियमितता नहीं की है। इकरारनामे के आधार पर अधिकार नहीं मिलते। नामान्तकरण से टाईटल तय नहीं होते हैं। दायर टी.आई में धीरज त्यागी को पक्षकार बनाया है। विक्रयपत्र रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में किया है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है तो स्थगन से कैसे बाधित को सकते हैं। अपील खाारिज की जावे।

5. जबाब में वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी पर स्थगन है। टी. आई प्रार्थना पत्र में सभी को पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी में संतोष कुमार पुत्र बसंतसिंह का 1/3 हिस्सा था। विवादित आराजी के 1/3, 1/3 हिस्से के अन्य हिस्सेदारों के बीच एक दीवानी वाद विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 3 (फास्ट्रेक) धौलपुर द्वारा दिनांक 27.08.2003 को विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा रहन वय मुन्तकिल नहीं करने बावत् जारी की गई थी। इसी संबंध में अपीलान्ट द्वारा एक दीवानी वाद में प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पो. तथा अन्य पक्षकारों के विरूद्ध विवादित आराजी पर रहन वय मुन्तकिल नहीं करने व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति हेतु दिनांक 02.02.2011 को पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.02.2011 से विपक्षीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित आराजी के विक्रय नहीं करने का जारी किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तारीख पेशी दिनांक 22.04.2013 को पत्रावली में दिनांक 06.09.2013 नियत की गई थी तब तक पूर्व आदेशानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी रहने का उल्लेख उक्त आदेश में किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2013 तक प्रभावी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 28.01.2013 मुताबिक वयनामा दिनांक 03.12.2010 रेस्पोडैन्टगण 1 लगायत 4 के हक में स्वीकृत किया। उक्त नामान्तकरण अस्थाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते स्वीकृत हुआ। रेस्पो. का यह तर्क कि दीवानी वाद में वे पक्षकार नहीं थे, अतः उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा उनके ऊपर प्रभावी नहीं थी। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र धारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. में रेस्पोडैन्टगण को पक्षकार बनाया गया है जिसपर उनका यह तर्क कि उनको पक्षकार नहीं बनाया गया न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से विरोधाभाषी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2015 तथा नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 28.01.2013 वांके ग्राम तोर दानियाल बावत् खसरा नम्बर 473 लगायत 476 खातेदार संतोष कुमार पुत्र बसंत सिंह के हिस्से 1/3 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर